निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आषाढ़ 1935 (शo)

(सं0 पटना 512) पटना, वृहस्पतिवार, 4 जुलाई 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

20 जून 2013

सं0 22/नि0सि0(पट0)–03–02/2011/709—श्री संजय कुमार सिन्हा, (आई0 डी0–3361) तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना के उक्त पदस्थापन अवधि में माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद के विकास निधि से निर्मित हनुमान नगर के0 18 से 93 तक पी0 सी0 सी0 पथ एवं कंकड़बाग के पी0 सी0 सी0 कॉलोनी में के0 73 से के0 25 तक पी0 सी0 सी0 पथ में बरती गई अनियमितता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिन्हा के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 694 दिनांक 27.6.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में सड़क निर्माण स्थलों में ग्रेड–III मेटल में प्रयुक्त स्क्रीनिंग सामग्री के रूप में अधिक मुरम के किये गये खपत के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है बल्कि आइ0 आर0 सी0–19–1972 के अनुशंसा के आलोक में 30 प्रतिशत मुरम की मात्रा के साथ तैयार किये गये प्राक्कलन एवं वर्ष 2011 में प्रकाशित बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित दर में निर्धारित मुरम की मात्रा (लगभग 23 प्रतिशत) के हद तक विचलन प्रतीत होता है, का मंतव्य दिया गया है। साथ ही सामग्रियों के क्रय से संबंधित प्रमाणकों एवं मजदूरों को भुगतान से संबंधित मस्टर रौल को पारित नहीं करने एवं इन प्रमाणकों पर प्रमाणक सं0 दर्ज नहीं करने से संबंधित है जिस पर संचालन पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित था का मंतव्य दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि Indian Road congress गुणवत्ता एवं विशिष्टिकरण के निर्धारण हेतु एक मानक संख्या है जिसकी 30 प्रतिशत मुरम की मात्रा की खपत के आलोक में तैयार प्राक्कलन की स्वीकृति जिला प्राक्कलन समिति द्वारा प्रदत्त है। अतएव प्राक्कलन की स्वीकृति के उपरान्त प्राक्कलन तैयार करने वाले सहायक अभियन्ता के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं होता है। 30 प्रतिशत मुरम की मात्रा के साथ स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर क्रियान्वित कार्य को जिलाधिकारी, पटना द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच प्रतिवेदन में आलोच्य ग्रेड– III मेटल तक के कार्य को ठीक पाये जाने के फलस्वरूप ही आगे की किस्त निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मस्टर रौल एवं सामग्रियों के क्रय संबंधित प्रमाणकों पर श्री सिन्हा सहायक अभियन्ता द्वारा जॉच किया जाना अपेक्षित था परन्तु कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सीधे इसे मान्य किये जाने के फलस्वरूप इसकी प्रासंगिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अतएव इस प्रकरण में श्री सिन्हा, सहायक अभियन्ता एवं श्री राम राय, कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रक्रियात्मक भूल की गयी है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अधिरोपित कोई भी आरोप आरोपित पदाधिकारी के विरूद्व प्रमाणित नहीं पाये गये परन्तु तथाकथित विचलन एवं प्रक्रियात्मक भूल के फलस्वरूप श्री संजय कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता को दोषमुक्त करते हुए भविष्य में कार्य के प्रति सतर्कता बरतने हेतु निदेशित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री संजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना सम्प्रति सहायक अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीधा, (पटना) को दोषमुक्त किया जाता है एवं भविष्य में कार्य के प्रति सतर्कता बरतने का निदेश दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन पासवान,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 512-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in